

समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

समस्त संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

समस्त उप आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र पत्र संख्या-4272 दिनांक 16-02-2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रतिवेदक स्तरीय गोपनीय मन्तव्य अंकित किये जाने हेतु अन्तिम तिथि 15-03-2023 नियत है।

चूँकि कतिपय कारणों से वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य कर विभाग में कार्यरत् अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत् अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियों पर प्रतिवेदक स्तरीय मन्तव्य अभी तक नहीं दिया जा सका है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में आपके अधीनस्थ कार्यरत् रहें अधिकारियों को प्रतिवेदक स्तरीय मन्तव्य प्रत्येक दशा में दिनांक 15-04-2023 तक ऑनलाइन प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। यह परिपत्र आयुक्त, राज्य कर महोदया के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

(ओम प्रकाश वर्मा)

अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प० संख्या एवं दिनांक : _____ ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन, को सूचनार्थ ।
2. अध्यक्ष, राज्य कर अधिकरण लखनऊ ।
3. अपर आयुक्त ग्रेड-1 / 2 (उच्च न्यायालय कार्य) प्रयागराज / लखनऊ ।
4. अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ।
5. संयुक्त आयुक्त (उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, प्रयागराज / लखनऊ / गाजियाबाद ।
6. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को उक्त परिपत्र की प्रति विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर स्थापना राजपत्रित अनुभाग को ई0आई0एम0एस0 पर अपलोड करने हेतु।
8. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, कमिश्नर कैम्प, राज्य कर मुख्यालय को सूचनार्थ।
9. निदेशक राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ ।

संयुक्त आयुक्त (स्थापना) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।